(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1501-पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-4-2017 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 88/अपील/2015-16.

---

1. नंदराम आत्मज स्व. नाथूराम
2. रामदयाल आत्मज स्व. नाथूराम

निवासीगण ग्राम खजूरीकलॉ
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती ज्योति ठाकुर पत्नी अनिल सिंह
2. श्रीमती अवंति ठाकुर पत्नी लक्ष्मण सिंह

निवासीगण ग्राम बावड़िया कलाँ
तुलसी फार्म, श्रीराम मंदिर के पास, भोपाल

3. हीरा लाल पुत्र मोहन सिंह
4. देवी सिंह पुत्र मोहन सिंह
5. राम सिंह पुत्र मोहन सिंह
6. मेहताब सिंह पुत्र मोहन सिंह
7. मुंशी लाल पुत्र भूरे लाल
8. बादाम सिंह पुत्र राम सिंह
9. लाल सिंह पुत्र अज्ञात

निवासीगण ग्राम खजूरीकलॉ
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री वी.पी. तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नागेश्वर राव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 24-4-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 7 द्वारा तहसीलदार, हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खजूरीकलॉ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित उनके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 706/1, 710/1, 711, 714/1, 715, 706/2, 710/2, 714/2 कुल रकबा 15.34 एकड़ एवं अन्य भूमि खसरा क्रमांक 706/4/क, 706/4/ख, 706/4/ग, 710/4/ग, 714/4/क, 715, 714/4/ख, 715, 714/4/ग, 715, 714/4/ग पर आने-जाने के 100 वर्ष पुराने रूढ़िगत रास्ते को आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 8 व 9 द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अन्तरिम रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार नजूल एम.पी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/बी-121/13-14 दर्ज कर दिनांक 17-2-14 को अन्तरिम रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये । तदोपरान्त आवेदक क्रमांक 1 नंदराम द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय में उनके द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद विचाराधीन होने से कार्यवाही स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 21-7-14 को अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया एवं प्रकरण में कार्यवाही की जाकर दिनांक 12-10-15 को रास्ता खोले जाने का अंतिम आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, एम.पी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13-4-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 24-4-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) नायब तहसीलदार के मूल प्रकरण के पृष्ठ 11 में अनावेदकगण के पास उपलब्ध मार्ग का नक्शा संलग्न किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने असली दस्तावेज निकाल कर उसके स्थान पर फोटोकॉपी संलग्न कर आदेश पारित किया गया है, जिसकी शिकायत आवेदकगण द्वारा विभिन्न अधिकारियों को की गई है । उक्त पृष्ठ क्रमांक 11 में संलग्न नक्शे की सत्यप्रतिलिपि भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई है ।

(2) नक्शे को देखने से स्पष्ट है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आयुक्त द्वारा आदेश के पृष्ठ 3 में यह उल्लेख किया गया है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के उपरान्त भी नवीन मार्ग सृजित किया जा रहा है, मानने योग्य नहीं है । इस तथ्य का आयुक्त द्वारा आदेश में कोई स्प्ष्टीकरण नहीं दिया गया है और न ही आदेश में उल्लेख किया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनका आदेश अपूर्ण आदेश "डेस" लगाकर पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किस खसरा क्रमांक से मार्ग चाहिए ।

(6) सौ वर्ष पुराना रूढिगत मार्ग होने के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रकरण में किसी तरह के ऐसे दस्तावेज संलग्न हैं ।

(7) महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आयुक्त के आदेश के पृष्ठ 3 में मार्ग तथा अन्य प्रायवेट सुखाचार सम्बन्धी अधिकार की धारा 242 का वर्णन किया गया है, जबकि संहिता की धारा 242 वाजिब-उल-अर्ज के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 242 का निष्कर्ष प्रकरण में आधारित न होकर अन्य तथ्यों पर है । वाजिब-उल-अर्ज के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से गांव के सरपंच द्वारा ढोल पिटवाकर मुनादी करन कार्यवाही की जाती है । यह तथ्य प्रकरण के सम्बन्ध में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जो आयुक्त द्वारा विधि विरूद्ध उल्लेख किया गया है ।

(8) यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि ग्राम खजूरीकलाँ स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 716, 713 में मार्ग हेतु प्रकरण का निराकरण किया जाना, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा क्रमांक 716 से मार्ग निकालने का आदेश पारित किया गया है । खसरा क्रमांक 716 एवं 713 के समस्त भूमिस्वामियों की सुनवाई नहीं की गई है । खसरा क्रमांक 716 में पक्षकार सुन्दरलाल, गोवर्धन भी भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, इसके पश्चात भी अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 से 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य के आधार पर आधारित हैं ।

(2) तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाकर, मौके पर नक्शा बनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विवादित स्थान के आगे रोड बना था और आवेदकगण द्वारा उक्त नक्शे पर कोई आक्षेप पेश नहीं किया गया है ।

(3) प्रकरण में दोनों पक्ष की साक्ष्य अंकित जाकर, साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निराकरण हुआ है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा पुलिस के माध्यम से रास्ता खुलवाया गया है । अनावेदकगण के पास अपनी भूमि पर जाने हेतु अन्य रास्ता नहीं है और प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग विगत 100 वर्षों से अनावेदकगण के पूर्वज एवं अन्य ग्रामवासी करते आये हैं ।

(5) आवेदकगण द्वारा व्यवहार वाद पेश कर स्थगन की मांग की गई थी, जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी अपर जिला न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दी गई है । उक्त आदेश अभिलेख पर पेश है पश्चातवर्ती प्रक्रम पर आवेदक ने अपना दावा व्यवहार न्यायालय से निरस्त करा लिया है ।

(6) अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मौके का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ पेश किया था, जिसमें खसरा नम्बर 716, 713 तथा आसपास के खसरे नक्शे में दृष्टिगोचर हैं, इसलिए यह कहना गलत है कि कोई सुनवाई नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ता लगभग 100 वर्ष पुराना होकर, रूढ़िगत है, जिसे आवेदकगण द्वारा बन्द करने का प्रयास किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही उपरान्त स्थायी रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के अनुरूप उचित आदेश है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया है कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत कृषकों को अपने खेत पर कृषि कार्य हेतु आने-जाने एवं कृषि उपकरण लाने-ले जाने हेतु मार्ग अधिकार तथा अन्य सुखाचार सम्बन्धी अधिकारी प्राप्त हैं, अतः तहसीलीदार द्वारा अनावेदक पक्ष के आवागमन हेतु 10 फिट का रूढिगत रास्ता स्थायी रूप से खोले जाने के, जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित है । आयुक्त द्वारा भी विवेचना

उपरांत आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्षों को यथावत रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समतर्वी निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 24-4-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर